	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	2	3

.03.202)

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0आर0 वाद संख्या–03/2017–18

गिरजानन्द प्रसाद –बनाम– सच्चिदानन्द वर्मा वगै0

अवेदकगण

1. गिरिजानन्द प्रसाद, पिता–स्व0 बनवारी लाल, सा0–नया बाजार, राजमहल,
2. रविरतन प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ गोपू, पिता–स्व0 मनीन्द्रनाथ वर्मा, सा0–कासीम बाजार,
3. प्रवीण श्रीवास्तव, पिता–स्व0 राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, सा0–कासीम बाजार, सभी थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज।

विपक्षीगण

1. सच्चिदानन्द वर्मा,
2. कृष्णा भगन वर्मा, मोहल्ला–नया बाजार, राजमहल, जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत रिभीजन वाद विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के द्वारा म्युटेशन अपील वाद सं0 09/2013–14 गिरिजानन्द प्रसाद वगैरह –बनाम– सच्चिदानन्द वर्मा वगैरह में दिनांक 03.11.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध Arising out of Revision v/s 16 of Tenants holding (Maintenance of records Act 1973 एवं Limitation Act Petition हेतु दायर की गयी।

रिभिजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया कि अंचल अधिकारी, साहेबगंज में म्यूटेशन वाद सं0 460/2011–12 में दिनांक 05.07.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज में दायर किया गया, जिसका अपील वाद सं0 09/2013–14 गिरिजानन्द प्रसाद वगैरह –बनाम– सच्चिदानन्द वर्मा वगैरह में आवेदकगण ने लिखित बहस, वांछित दस्तावेजों एवं वंशावली दाखिल किये, परन्तु विज्ञ उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, राजमहल ने उक्त दस्तावेजों पर बिना विचारण दिनांक 03.11.2016 को अपील खारिज कर दिये, जो न्यायसंगत नहीं है। तत्पश्चात दिनांक 21.11.2016 को अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत करने हेतु आवेदक ने आवेदन समर्पित किया। उक्त आलोक में दिनांक 06.05.2017 को सत्यापित प्रति प्राप्त हुआ। इसलिए आवेदकगण ने रिभिजन अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा–05 के तहत क्षांत आवेदन दाखिल करते हुए रिभिजन अपील पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त स्वीकृत करने का अनुरोध किये। उपरोक्त आधार पर रिभिजन अपील स्वीकृत करते हुए न्यायालय से अपना पक्ष रखने हेतु विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। उक्त आलोक में विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी ओर से तथ्य विवरणी दाखिल किये। रिभिजन अपील के आलोक विस्तार से सुनवाई हेतु न्यायालय ज्ञापांक 92/डी0बी0, दिनांक 03.06.2017 के द्वारा उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, राजमहल से मूल अभिलेख की माँग की गयी, जिसके अनुपालनार्थ उनके द्वारा पत्रांक 65/भू0सु0, दिनांक 16.06.2017 द्वारा मूल अभिलेख प्राप्त हुआ।

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आवेदकगण द्वारा विषयगत भूमि की विवरणी के साथ विवाद का कारण दर्शाया गया, जो निम्नवत है:–

प्रश्नगत भूमि मौजा–धुलियार थाना नं0–145, जमाबंदी नं0–118, दाग नं0–76, रकवा 06 बीघा 07 कट्ठा 13 धुर एवं जमाबंदी नं0–199, दाग नं0–233 रकवा 01 बीघा 04 कट्ठा 16 धूर कुल रकवा 07 बीघा 12 कट्ठा 09 धूर खतियानी रैयत बनवारी लाल, पिता–स्व0 दुर्गालाल के नाम से गेंजर सर्वे सेटलमेंट में अंकित है।

खतियानी रैयत बनवारी लाल के वर्ष 1969 में मरनोपरान्त वे अपने पीछे वंशजों को छोड़ गये जो इस वाद में पक्षकार है। दोनों पक्ष खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी है। तत्संबंधी वंशावली की कुर्सीनामा आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक सं0–01 गिरिजानन्द प्रसाद उपरोक्त वर्णित भूमि में से 1/2 भाग हिस्सेदार है तथा आवेदक सं0–02 और 03 संयुक्त रूप से 2/3 भाग में 1/2 भाग का हिस्सेदार है, जिसपर शांतिपूर्ण ढंग से भोग दखल में है। उक्त भूमि का आवेदक सं0–01 सरकार को वर्ष 2009 तक मालगुजारी भुगतान करके रसीद प्राप्त करते रहे है। खतियान का नाम देहिन्दा कॉलम में आवेदक का नाम अंकित है। उक्त भूमि में से विपक्षीगण 1/3 भाग का हिस्सेदार है। क्योंकि आवेदक सं0–01 गिरिजानन्द प्रसाद खतियानी रैयत बनवारी लाल का एक पुत्र है। आवेदक सं0–02 और 03 खतियानी रैयत का परनाती है। वहीं विपक्षीगण नाती है, जिसकी पुष्टि वंशावली के कुर्सीनामा से होती है। परन्तु विपक्षीगण सम्पूर्ण प्रश्नगत भूमि अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा अपने नाम से म्युटेशन करवा लिया जिसका म्यूटेशन वाद सं0 460/2012 है। उपरोक्त कथन की जानकारी होने के बाद आवेदकगण म्यूटेशन रद्ध करने हेतु अंचल अधिकारी, राजमहल को आवेदन समर्पित किये, जिसे सुनवाई उपरांत खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात आवेदकगण विज्ञ उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, राजमहल के न्यायालय में उक्त म्युटेशन अपील वाद सं0 09/2013–14 गिरिजानन्द प्रसाद वगैरह –बनाम– सच्चिदानन्द वर्मा वगैरह है। परन्तु उक्त न्यायालय द्वारा सिर्फ इस आधार पर म्युटेशन अपील दिनांक 03.11.2017 को खारिज कर दिया गया कि Only on the basis of that he has no power to deside Title जबकि आवेदकगण के द्वारा म्युटेशन रद्ध करने संबंधी आवेदन के साथ प्रश्नगत भूमि संबंधी दस्तावेज, लिखित बयान इत्यादि दाखिल किया गया था। उक्त कागजातों का उनके द्वारा अनदेखी की गयी। जबकि यह सैद्धान्तिक कानून है कि किसी भी भूमि का नामांतरण दखल के आधार पर किया जाता है लेकिन अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा सम्पूर्ण भूमि का नामांतरण विपक्षी के पक्ष में कर दिया गया, जबकि विपक्षीगण मात्र 2/3 भूमि का हिस्सेदार है। अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा आवेदकगण को म्यूटेशन करने के पूर्व आपति आमंत्रण हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया। इतना ही नहीं उनके द्वारा स्थलीय जाँच भी नहीं करवाया गया। गिरिजानन्द प्रसाद आवेदक सं0–01 खतियानी रैयत स्व0 बनवारी लाल का एक मात्र पुत्र है।

विपक्षीगण की माँ राधा देवी और आवेदक सं0–02 एवं 03 का पिता अर्थात मनीन्द्र नाथ वर्मा और राजेन्द्र प्रसाद वर्मा एक हिस्सेदार जिसका विवरण वर्तमान सर्वे सेटेलमेंट में अंकित है। इसलिए स्वत्व विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा पारित आदेश के आधार पर उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, राजमहल के द्वारा म्युटेशन अपील नं0– 09/2013 में दिनांक 03.11.2016 को पारित आदेश को आवेदकगण के द्वारा अपास्त करते हुए अपने पक्ष में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण का दावा खंडन करते हुए लिखित बहस में दर्शाया गया कि अपीलार्थियों ने बिहार अभिकारी होल्डिंग अनुरक्षण अधिनियम 1973 की धारा–16 के अन्तर्गत रिभिजन अपील दायर किया है, साथ ही आवेदकगण के द्वारा कालक्षांत हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा–05 के तहत संशोधन आवेदन रिभिजन अपील दायर किया जो चलने योग्य नहीं है। अर्थात रिभिजन वाद खारिज योग्य है।

आदेश पर की गई कार्यवाही	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Digitally signed by RAMNIWAS YADAV
Date: 2022.11.12 12:49:38 +05:30
Location: 192.168.1.9

आगे उत्तरवादीगण का दावा हैं कि प्रश्नगत भूमि [illegible] कब्जा है जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा नामांतरण की कार्यवाही की गयी। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0 09/2013–14 (गिरिजानन्द प्रसाद वगै0 –बनाम– सच्चिदानन्द वर्मा वगै0) में अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा पारित आदेश को सही मानते हुए नामांतरण वाद को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया।

उत्तरवादीगण के द्वारा उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, राजमहल से पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपने पक्ष में आदेश करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा निम्न न्यायालय से उपलब्ध अभिलेख एवं कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विषयगत भूमि को लेकर पक्षकारों के बीच स्वामित्व अधिकार संबंधी विवाद उत्पन्न है, जो इस न्यायालय क्षेत्र के परिधि अन्तर्गत नहीं है।

अतः स्वामित्व अधिकार के लिए पक्षकार सक्षम न्यायालय जा सकते है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पारित आदेश से संबंधितों को अवगत कराएँ।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

उपायुक्त,
साहेबगंज।